मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XVII अंक 1 अप्रैल 2021

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1
II. विनियमन	2
III. पर्यवेक्षण	4

संपादक से नोट

मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका अप्रैल माह में धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा उठाए गए नए विकासात्मक और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in के साथ-साथ क्यूआर कोड स्कैन करके भी एक्सेस किया जा सकता है।

संचार के इस साधन के माध्यम से हम तथ्यात्मक सटीकता और सूचना के प्रसार में स्थिरता सुनिश्चित करते हुए सूचनाओं को साझा करने, शिक्षित करने और संपर्क में बने रहने का लक्ष्य रखते हैं।

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 7 अप्रैल 2021 को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिआर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

चलनिधि उपाय

❑ *टीएलटीआरओ ऑन टेप योजना* : रिज़र्व बैंक ने टीएलटीआरओ ऑन टेप योजना को छह महीने अर्थात् 30 सितंबर 2021 तक की अवधि तक बढ़ाने का निर्णय लिया। अधिक पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

❑ *एआईएफ़आई के लिए चलनिधि सुविधा* : रिज़र्व बैंक ने 2021-22 में नए ऋण देने के लिए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफ़आई) को ₹50,000 करोड़ की नई सहायता देने का निर्णय लिया।

विनियमन और पर्यवेक्षण

❑ *भुगतान बैंकों के लिए प्रति ग्राहक अधिकतम शेष की सीमा में वृद्धि* : रिज़र्व बैंक ने भुगतान बैंकों के कार्यनिष्पदना की समीक्षा और वित्तीय समावेशन के लिए अपने प्रयासों को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों सहित अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने की उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए यह ऋण सीमा दिन के अंत में प्रति व्यक्तिगत ग्राहक द्वारा अधिकतम शेष ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख करने का निर्णय लिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

❑ *एआरसी– समिति की संरचना* : रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया गया है जो वित्तीय संस्थाओं की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने में उपयुक्त उपायों की सिफारिश करेगी।

❑ *एनबीएफसी के माध्यम से बैंकों को ऋण देने की अनुमति देना* : रिज़र्व बैंक ने अगस्त 2019 में निर्णय लिया गया था कि बैंकों को 31 मार्च 2021 तक कृषि/एमएसएमई/आवास के लिए ऋण प्रदान करने के लिए बैंक के कुल पीएसएल के 5 प्रतिशत तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के रूप में पंजीकृत एनबीएफसी (एमएफआई के अलावा) को उधार देने की अनुमति दी जाए। रिज़र्व बैंक ने बेंकों द्वारा एनबीएफसी को ऋण देने के लिए पीएसएल वर्गीकरण का विस्तार करने का निर्णय लिया है, जो उपर्युक्त क्षेत्रों को छह महीने तक अर्थात् 30 सितंबर, 2021 तक ऋण देगा। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

❑ *पीएसएल दिशानिर्देश-ईएनडब्यूआर / एनडब्ल्यूए के एवज में ऋण सीमा में वृद्धि* : रिज़र्व बैंक ने भांडागरण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत और विनियमन माल-ओदामोन्लों द्वारा जारी पूर्ण रूपांतरण केंद्र रसीदें (एनडब्ल्यूआर) / इलेक्ट्रॉनिक-एनडब्ल्यूआर (ई-एनडब्ल्यूआर) को मंजूरी दी है। उपज की गिरवी / दृष्टि प्रतिबंध के एवज़ में प्रति उधारकर्ता की ऋण सीमा को बढ़ाकर ₹50 लाख से ₹75 लाख तक करने का निर्णय लिया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

ऋण प्रबंधन

❑ *राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की समीक्षा* : सलाहकार समिति (अध्यक्ष : श्री सुधीर श्रीवास्तव) ने सभी राज्यों के लिए वर्तमान सीमा ₹32,225 करोड़ रुपये (फरवरी 2016 में निर्धारित) को संशोधित करते हुए इसकी तुलना में इसे समग्र रूप से ₹47,010

करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है, जिससे लगभग 46% की वृद्धि दर्ज होती है। समिति ने बढ़ी हुई अंतरिम अर्थोपाय (डब्ल्यूएमए) सीमा ₹51,560 करोड़ (पिछले वित्त वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को महामारी के दौरान आने वाली कठिनाइयों से उबरने में मदद करने के लिए वर्तमान सीमा में 60 प्रतिशत की बढ़ोतरी) को आगामी 6 माह यथा, 01 अप्रैल 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक जारी रखने की भी सिफारिश की है। रिज़र्व बैंक ने दोनों सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

वित्तीय समावेशन

❑ *वित्तीय समावेशन सूचकांक* : देश में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए, रिज़र्व बैंक एक "वित्तीय समावेशन सूचकांक" (एफआईआई सूचकांक) का निर्माण करेगा और समय-समय पर प्रकाशित करेगा।

भुगतान प्रणाली

❑ *आरटीजीएस और एनईएफ़टी* : बैंकों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के लिए सदस्यता: रिज़र्व बैंक ने केंद्रीयकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) में सीधी सदस्यता लेने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित भुगतान प्रणाली परिचालकों को चरणबद्ध तरीके से सक्षम करने का प्रस्ताव दिया।

❑ *प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (पीसीआई) की अंतरसंचालनीयता (इंटरऑपरेबिलिटी) और खाने की सीमा में ₹2 लाख वृद्धि* : पूर्ण केवाईसी में पीसीआई के माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, ऐसे पीसीबीआई में बकाया शेष की सीमा को ₹1 लाख रुपये से बढ़ाकर ₹2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके लिए अलग से आवश्यक निर्देश जारी किया जाएगा।

❑ *गैर-केवाईसी वाले बैंकों द्वारा जारी पूर्ण पीपीआई से नकदी निकासी की अनुमति*: रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं के पूर्ण-केवाईसी पीपीआई के लिए नकद निकासी की सुविधा को एक सीमा के अधीन रखने का प्रस्ताव दिया।

बाह्य वाणिज्यिक भुगतान

❑ *सावधि जमाराशियों में बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) आय की पार्किंग की अवधि में छूट* : ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में एडी श्रेणी-1 बैंकों के साथ सावधि जमाराशियों में ईसीबी आय को अधिकतम 12 महीने की अवधि के लिए रखने की अनुमति है। कोविड-19 महामारी प्रेरित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण पहले से आहरित ईसीबी का उपयोग करने में उधारकर्ताओं को होने वाली कठिनाई को देखते हुए, राहत प्रदान करने की दृष्टि से उपरोक्त व्यवस्था में एक बार के उपाय के रूप में ही छूट देने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 1 मार्च 2020 को या उससे पहले निकाली गई अप्रयुक्त ईसीबी आय को भारत में एडी श्रेणी-1 बैंकों के साथ 1 मार्च 2022 तक उत्तरव्यापी प्रभाव से सावधि जमाराशियों में पार्क किया जा सकता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पूरा वक्तव्य पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

आरआरए 2.0 का गठन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 को आंतरिक रूप से विनियामक निर्धारण की समीक्षा करने के लिए और साथ ही उनके सरलीकरण और कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए एक नया विनियमन समीक्षा प्राधिकारी (आरआरए 2.0) गठित करने का निर्णय लिया गया है। आरआरए 2.0 विनियम निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, प्रक्रियाओं को सरल कर विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने पर ध्यान केंद्रित करेगा और जहां भी संभव हो, रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को कम करेगा। आरआरए 2.0 की कार्य संरचना इस प्रकार होंगी:

❑ अतिरिक्तताओं और दोहराव, यदि कोई हो, को हटाकर विनियामक और पर्यवेक्षी निर्देशों को अधिक प्रभावी बनाना;

❑ रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करके विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन बोझ को कम करना; यदि आवश्यक हो तो अप्रचलित निर्देशों को रद्द करना और जहां भी संभव हो कागज आधारित प्रस्तुति को कम करना;

❑ प्रक्रियाओं के सरलीकरण और अनुपालन में आसानी को बढ़ाने पर विनियमित संस्थाओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करना;

❑ रिज़र्व बैंक परिपत्रों / निर्देशों के प्रसार की प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जांच करना और सुझाव देना (इससे परिपत्र जारी करने, उनका अद्यतन और वेबसाइट लिंकेज के क्षेत्रों पर सुझाव दे पाएंगे); तथा

❑ इस विषय के लिए किसी भी अन्य उचित मुद्दे की पहचान करना।

श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर को विनियमन समीक्षा प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्राधिकरण की स्थापना 01 मई 2021 से एक वर्ष की अवधि, या जब तक कि रिज़र्व बैंक द्वारा इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता के लिए की जाएगी। आरआरए सभी विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ आंतरिक रूप से और साथ ही बाह्य रूप से प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जुड़ा रहेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एआरसी के कामकाज संबंधी समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2021 को वित्तीय क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में एआरसी के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने तथा वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने में ऐसी संस्थाओं को सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति की संरचना निम्नानुसार है:

❑ श्री सुदर्शन सेन, पूर्व कार्यपालक निदेशक, रिज़र्व बैंक, अध्यक्ष

❑ सुश्री विशाखा मुले, कार्यपालक निदेशक, आईसीआईसीआई बैंक, सदस्य

❑ श्री पी. एन प्रसाद, पूर्व उप प्रबंध निदेशक, एसबीआई, सदस्य

❑ श्री रोहित प्रसाद, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एमडीआई, गुड़गांव, सदस्य

❑ श्री एबिजर दीवानजी, पार्टनर, अर्नस्ट एंड यंग, सदस्य

❑ श्री आर आनंद, सनदी लेखाकार, सदस्य

समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे:

❑ एआरसी पर लागू मौजूदा कानूनी और विनियामक ढांचे की समीक्षा और एआरसी की प्रभावकारिता में सुधार के उपायों की सिफारिश करना;

❑ दिवालिया एवं शोधन अक्षमता कोड (आईबीसी), 2016 सहित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में एआरसी की भूमिका की समीक्षा;

❑ प्रतिभूति प्राप्तियों की चलनिधि और व्यापार में सुधार के सुझाव;

❑ एआरसी के कारोबार मॉडल की समीक्षा;

❑ एआरसी के कामकाज, पारदर्शिता और अभिशासन से संबंधित कोई अन्य मामला।

समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति एआरसी, बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों से उपरोक्त पहलुओं पर विचार और सुझाव आमंत्रित करती है, जिसे 31 मई, 2021 तक मेल द्वारा भेजे जा सकते हैं हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।

सीसीवाईबी की आवश्यकता की समीक्षा

रिज़र्व बैंक ने 19 अप्रैल 2021 को निर्णय लिया कि सीसीवाईबी संकेतकों की समीक्षा और अनुभवजन्य परीक्षण के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि इस समय सीसीवाईबी को सक्रिय करना आवश्यक नहीं है। 5 फरवरी 2015 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीवाईबी) की रूपरेखा तैयार की गई थी, जिसमें यह सूचित किया गया था कि सीसीवाईबी को उन परिस्थितियों में सक्रिय किया जाएगा, जब इसकी आवश्यकता होगी और कि इस निर्णय की पूर्व घोषणा सामान्य रूप से की जाएगी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2021 को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम यूओआई और अन्य और अन्य जुड़े मामलों के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस संबंध में, रिज़र्व बैंक ने 07 अप्रैल 2021 को निम्नानुसार सूचित किया:

I.'ब्याज पर ब्याज' की वापसी / समायोजन

❑ उक्त निर्णय के अनुरूप सभी ऋणदाता संस्थान, अधिस्थगन अवधि अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान उधारकर्ताओं को प्रभारित "ब्याज पर ब्याज" की वापसी/ समायोजन के लिए एक बोर्ड अनुमोदित नीति यथाशीघ्र तैयार करेंगे।

❑ दिनांक 27 मार्च 2020 और 23 मई 2020 के परिपत्रों ("कोविड-19 नियामक पैकेज") के अनुसार उपरोक्त राहतें इस बात पर विचार किए बिना कि अधिस्थगन अवधि का पूरा या आंशिक लाभ उठाया गया या लाभ नहीं उठाया गया, उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होंगी, जिसने अधिस्थगन अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की सुविधाओं का लाभ उठाया।

❑ उधार देने वाली संस्थाओं को 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनके वित्तीय विवरणों में उपरोक्त राहत के आधार पर उनके उधारकर्ताओं के संबंध में वापस / समायोजित की जाने वाली कुल राशि का प्रकटन करना होगा।

II. आस्ति वर्गीकरण

उपरोक्त निर्णय के बाद उधार देने वाली सभी संस्थानों द्वारा उधारकर्ता खातों के आस्ति वर्गीकरण को नीचे स्पष्ट किए अनुसार वर्तमान अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाना जारी रहेगा:

❑ कोविड-19 विनियामक पैकेज के संदर्भ में जिन खातों को कोई स्थगन मंजूर नहीं किया गया था, उनके संबंध में आस्ति वर्गीकरण, 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र- अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण या अन्य प्रासंगिक अनुदेश जो विशिष्ट श्रेणी के ऋण देने वाले संस्थानों (आईआरएसी मानदंड) पर लागू होते हैं, में निहित मानदंडों के अनुसार की जाएगी।

❑ कोविड-19 विनियामक पैकेज के संदर्भ में जिन खातों को अधिस्थगन प्रदान किया गया था, उनके संबंध में, 01 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए आस्ति वर्गीकरण 23 मई 2020 के परिपत्र के साथ पठित 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के संदर्भ में अभिशासित किया जाएगा।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ब्याज समकरण योजना – विस्तार

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 12 अप्रैल 2021 को सूचित किया कि भारत सरकार ने 30 जून 2021 तक तीन और महीनों के लिए समान कार्यक्षेत्र और कवरेज के साथ पोतलदान पूर्व और पश्चात रुपये निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। विस्तार 01 अप्रैल 2021 से प्रभावी है और 30 जून 2021 को समाप्त हो रही है जोकि तीन महीने की अवधि को कवर करता है। नतीजतन, शीर्षांकित योजना के तहत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए मौजूदा परिचालन अनुदेश 30 जून 2021 तक लागू रहेंगे। विस्तार पढ़ने के लिए, कृपया यहाँ क्लिक करें।

बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा

रिज़र्व बैंक ने 22 अप्रैल 2021 को सभी वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों को सूचित किया कि देश में कोविड-19 की चल रही दूसरी लहर के कारण जारी अनिश्चितता के मद्देनजर, यह महत्वपूर्ण है कि बैंक आघात-सह बने रहें और अप्रत्याशित नुकसान से बचाव के लिए अग्रसक्रिय रूप से पूंजी एकत्र और संरक्षण करें। इसलिए, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए, बैंकों को इक्विटी शेयरों पर लाभांश भुगतान करने की अनुमति देते समय लाभांश घोषणा मानदंडों की समीक्षा करने का निर्णय निम्नानुसार लिया गया है:

❑ वाणिज्यिक बैंक- 4 मई 2005 के परिपत्र में निहित अनुदेशों के आंशिक संशोधन में, बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ से इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान कर सकते हैं। लाभांश की मात्रा उक्त परिपत्र में निर्धारित लाभांश भुगतान अनुपात के आधार पर निर्धारित राशि के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

❑ सहकारी बैंक- सहकारी बैंक 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लाभ से मौजूदा अनुदेशों के अनुसार इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान कर सकते हैं।

❑ सामान्य- सभी बैंक लाभांश भुगतान के बाद लागू न्यूनतम विनियामकीय पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखेंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 15 अप्रैल 2021 को यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदकों के नाम जारी किए:

यूनिवर्सल बैंकों के लिए 'ऑन टैप' लाइसेंस दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदक

❑ यूएई एक्सचेंज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

❑ दि रिपेट्रिएट्स को-ऑपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलेपमेंट बैंक लिमिटेड (आरइपीसीओ बैंक)

❑ चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड

❑ श्री पंकज वैश्य और अन्य

लघु वित्त बैंकों के लिए 'ऑन टैप' लाइसेंस दिशानिर्देश के अंतर्गत आवेदक

❑ वीसाफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

❑ कालीकट सिटी सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

❑ श्री अखिल कुमार गुप्ता

❑ द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

उपरोक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के मूल्यांकन के लिए स्थायी बाहरी सलाहकार समिति के गठन और संरचना की घोषणा 22 मार्च 2021 को की गई थी। विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

बैंकों में कॉर्पोरेट प्रशासन

वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन की रूपरेखा की समीक्षा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 11 जून 2020 को 'वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया था। प्राप्त फीडबैक के आधार पर, रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की गई है, और अभिशासन पर एक मास्टर दिशानिर्देश यथासमय में जारी

किया जाएगा। ऐसी प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त कुछ परिचालनगत पहलुओं का समाधान करने के लिए, बोर्ड के अध्यक्ष और बैठकों, बोर्ड की कुछ समितियों की संरचना, आयु, कार्यकाल और निदेशकों का पारिश्रमिक, और नियुक्ति की नियुक्ति लघु वित्त बैंकों (एसएफ़बी) और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों सहित सभी निजी क्षेत्र के बैंकों के पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) नियुक्ति के संबंध में अनुदेश जारी करने का निर्णय लिया गया है।

बोर्ड के अध्यक्ष एवं बैठकें- बोर्ड का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। बोर्ड के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाएगी। बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम बोर्ड की कुल क्षमता का एक तिहाई या तीन निदेशक, जो भी अधिक हो, होंगे। बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे।

बोर्ड की समिति- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी), बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरसीएमडी), नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) 3 सदस्यों के एक कोरम के साथ बैठक करेगी। बोर्ड के अध्यक्ष एसीबी, आरएमसीबी या एनआरसी की अध्यक्षता नहीं करेंगे। बैठक की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करेंगे। एसीबी और आरएमसीबी एक तिमाही में कम से कम एक बार मिलेंगे। आवश्यकता पड़ने पर एनआरसी की बैठक आयोजित की जा सकती है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों (एनईडी) की आयु और कार्यकाल- बोर्ड के अध्यक्ष सहित एनईडी के लिए अधिकतम आयु सीमा 75 वर्ष होगी और 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद कोई भी व्यक्ति इन पदों पर पदभार जारी नहीं रख सकता है। किसी बैंक के बोर्ड में, एनईडी का कुल कार्यकाल लगातार या अन्यथा, आठ वर्ष से अधिक नहीं होगा। बैंक के बोर्ड में आठ साल पूरे करने के बाद व्यक्ति को तीन साल के न्यूनतम अंतराल के बाद ही नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।

एनईडी का पारिश्रमिक- एनईडी के लिए निर्धारित पारिश्रमिक, बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा, प्रति वर्ष ₹20 लाख से अधिक नहीं होगा।

एमडी और सीईओ और डब्ल्यूटीडी का कार्यकाल- एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी का पद 15 वर्षों से अधिक समय तक एक ही स्थान पर नहीं रह सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों में एमडी और सीईओ और डब्ल्यूटीडी के लिए अधिकतम आयु सीमा संबंधी वर्तमान निदेश जारी रहेंगे और कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु के बाद एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी के रूप में अपना पद जारी नहीं रख सकता है। एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीडी जो एक प्रमोटर / प्रमुख शेयरधारक भी हैं, 12 साल से अधिक समय तक इन पदों पर नहीं रह सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

III. पर्यवेक्षण

आरबीआई नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनैन्शल सिस्टम का सदस्य बना

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) 23 अप्रैल 2021 से सेंट्रल बैंक्स एंड सुपरवाइजर्स नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनैन्शल सिस्टम (एनजीएफएस) का सदस्य बन गया है। एनजीएफएस केंद्रीय बैंकों और पर्यवेक्षकों का एक समूह है जो स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने में समर्थन देने के लिए मुख्यधारा विषयक वित्त का इस्तेमाल करते समय अपने उत्तम प्रथाओं को साझा करने और वित्तीय क्षेत्र में पर्यावरण और जलवायु जोखिम प्रबंधन के विकास में योगदान देने की इच्छा रखते हैं। आरबीआई को एनजीएफएस की सदस्यता से लाभ मिलने की उम्मीद है क्योंकि इससे सीखने और हरित वित्त संबंधी वैश्विक प्रयासों में योगदान देने का अवसर प्राप्त होगा। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित वित्त की महता बढ़ी है। अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

एससीए / एसएएस की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने 27 अप्रैल 2021 को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए), बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 10 (1) और एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा 41 (1) ; और एनबीएफसी के लिए रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय IIIB के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए :

प्रयोज्यता - ये दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और एचएफसी सहित एनबीएफसी (इसके बाद संस्था के रूप में संदर्भित) और इसके बाद सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए)/ संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षक (एसएएस) की नियुक्ति या पुन: नियुक्ति के संबंध में लागू होंगे।

रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति- वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और यूसीबी को एससीए/ एसए की नियुक्ति / पुन: नियुक्ति के लिए वार्षिक आधार पर रिज़र्व बैंक (पर्यवेक्षण विभाग) की पूर्व अनुमति लेनी होगी। जबकि एनबीएफसी को एससीए / एसए की नियुक्ति के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी एनबीएफसी को ऐसी नियुक्ति के एक महीने के भीतर रिज़र्व बैंक को सूचित करना होगा।

एससीए / एसएएस की संख्या और शाखा कवरेज - पिछले वर्ष के अंत तक ₹15,000 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली संस्थाओं के लिए, सांविधिक लेखापरीक्षा, दो लेखापरीक्षा फर्मों [भागीदारी फर्मों / सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी)] की संयुक्त लेखापरीक्षा के तहत आयोजित की जानी चाहिए । अन्य सभी संस्थाओं को सांविधिक लेकपरीक्षा करने के लिए न्यूनतम एक लेकपरीक्षा फर्म (साझेदारी फर्म / एलएलपी) की नियुक्ति करनी चाहिए।

लेखापरीक्षकों की पात्रता मानदंड - प्रत्येक संस्था को एससीए (एस) / एसए (एस) के रूप में लेखापरीक्षा फर्म (एस) को नियुक्त करने की आवश्यकता है, जो दिशानिर्देशों के अनुलग्नक I में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हो।

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता - वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर) और एनबीएफ़सी के लिए, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) / स्थानीय प्रबंधन समिति (एलएमसी) प्रासंगिक विनियामक प्रावधानों, मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं केअनुसार लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हितों के द्वंद्व की निगरानी और मूल्यांकन करेगी।। यूसीबी / शेष एनबीएफ़सी के लिए, निदेशक मंडल लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता की निगरानी और मूल्यांकन करेगा।

एससीए / एसएएस के पेशेवर मानक - एससीएएस / एसएएस को उच्चतम कर्मठता के साथ अपनी लेखापरीक्षा जिम्मेदारियों के निर्वहन में प्रासंगिक पेशेवर मानकों द्वारा कड़ाई से निर्देशित किया जाएगा।

कार्यकाल और रोटेशन - लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षा फर्मों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, संस्थाओं को प्रत्येक वर्ष पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली फर्मों के अधीन रहते हुए तीन साल की निरंतर अवधि के लिए एससीए/एसए को नियुक्त करना होगा।

लेखापरीक्षा शुल्क और व्यय - सभी संस्थाओं के एससीए / एसएएस के लिए लेखापरीक्षा शुल्क संबंधित सांविधिक / विनियामक प्रावधानों के अनुसार तय किया जाएगा।

सांविधिक लेखापरीक्षा नीति और नियुक्ति प्रक्रिया - प्रत्येक संस्था, बोर्ड / एलएमसी द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करेगी जिसे वे अपनी आधिकारिक वेबसाइट / सार्वजनिक डोमेन पर रखेगी और उसके तहत आवश्यक प्रक्रिया तैयार करेगी, जिसे एससीएएस / एसएएस की नियुक्ति के लिए पालन किया जाएगा।

पूरा दिशानिर्देश पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।